न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

वाद संख्या / 109 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. नारायण लाल पिता भगवान लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादी

बनाम

1. भगवानलाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रोशनलाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. मु0 भगवानी पुत्री शंकरलाल जाति जाट पत्नि उदेराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी देवपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
4. मांगीलाल पिता जीतू जाति जाट आयु वयस्क निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. बडौदा–राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा–धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 18.12.2025

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा धमाना तहसील कपासन में खाता नं. 622 में कृषि आराजीयात खसरा नं. 204, 230, 351, 635, 642, 643, 644, 645, 652, 732, 736, 2412, 2656, 2671, 2785, 2787, 2959 कुल किता 17 कुल रकबा 11.81 हैक्ट0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मांगीलाल पिता जीतू, शंकरी बेवा जीतु जाट 1/2 एवं 1/4 हिस्सा संयुक्त एवं प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज है।

यह कि मौजा धोबीखेड़ा मजरा धमाना तहसील कपासन में खाता नं. 98 में कृषि आराजियात खसरा नम्बर 209, 210, 274, 277, 278, 306 कुल किता 6 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मांगी लाल पिता जीतु व मु. शंकरी बेवा जीतु जाट का संयुक्त 3/4 एवं प्रतिवादी नं. 1, 2, 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज है।

यह कि मु. शंकरी बेवा जीतू जाट का 3 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है और उनका वारीस प्रतिवादी नं. 4 मांगी लाल वारीस है व सहखातेदार है।

यह कि उक्त आराजियात मौरूसी मिल्कीयत व खातेदारी की है और पूर्व में प्रतिवादी नं. 1,2,3 के पिता शंकर पिता गणेश जाट एवं प्रतिवादी नं. 4 के पिता जीतु पिता गणेश जाट के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी इसके प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2039 से 2042 पेश है।

यह कि वादी प्रतिवादी नं० 1 भगवान लाल का पुत्र है तथा कुछ समय से आपसी मनमुटाव हो जाने से वादी अपनी माता मु. कमला बाई के साथ ग्राम देवपुरा तह. राशमी में रह रहा है और इस कारण से प्रतिवादी नं. 1 जैरबहस आराजियात को खुर्द बुर्द करना चाहता है जबकि उक्त आराजियात मौरूसी होकर वादी के दादा शंकर जी के समय की है अतः प्रतिवादी नं. 1 व वादी का इसमें बराबर हिस्सा है और वादपत्र की कालम नं. 1 में वर्णित आराजियात में वादी व प्रतिवादी नं. 1 प्रत्येक का 1/24, 1/24 कुल 1/12 हिस्सा एवं कॉलम नं0 2 में वर्णित आराजीयात में भी वादी व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

प्रतिवादी नं0 1 का प्रत्येक का 1/24, 1/24 कुल 1/12 हिस्सा है तथा वादी व प्रतिवादी नं. 1 के संयुक्त कब्जेकाश्त की है।

यह कि प्रतिवादी नं 1 तन्हा अवैधानिक रूप से वादी का हक व हिस्सा समाप्त करने हेतु व तन्हा आराजियात अपने नाम पर दर्ज होने से जैरबहस आराजियात को खुर्द बुर्द करना चाहता है जो अवैधानिक है और उसको ऐसा करने का विधिक अधिकार नहीं है अतः घोषणा किए जाने व इन्द्राज दुरुस्त कर वादपत्र की कालम नं. 1, व 2 में वर्णित आरार्जीयात में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी नं. 1 को जरिये निषेधाज्ञा जैरबहस आराजियात खुर्द बुर्द करने से रोका जाना आवश्यक है वरना वादी का हक व हिस्सा समाप्त हो जावेगा व उसको भारी असुविधा व असीमित क्षति होगी व पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी पैदा होगी और इस सबकी क्षतिपूर्ति रुपयों में पूरा करना संभव नहीं होगा।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 को वादी ने इन्द्राज दुरुस्ती कराने व आराजियात खुर्द बुर्द नहीं करने हेतु कहा तो वह तैयार नहीं है अतः बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरुआत दिनांक 25/2/2012 से है व निरन्तर पैदा हो रही है।

यह कि प्रतिवादी नं. 2, 3, 4 सहखातेदारान होने से प्रतिवादी संयोजित किए है एवं प्रतिवादी नं. 1 ने अपना हिस्सा बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धमाना के यहां रहन रखा है जो बदस्तूर प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से पर कायम रखा जावें।

अतः वादी की प्रार्थना है कि –

– यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध इस प्रकार की घोषणा किए जाने की डिक्री प्रदान की जावें कि वादपत्र की कॉलम नं. 1, 2 में वर्णित आराजियात का 1/12 हिस्सा जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में अंकित है वह गलत है अतः इसको दुरुस्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा अंकित किया जावें।

यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जाये कि प्रतिवादी नं. 1 वादपत्र की कॉलम नं. 1–2 में वर्णित आराजियात को रहन विक्रय या खुर्द बुर्द नहीं करें और वादी को कब्जे से बेदखल नहीं करें।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से की आराजियात जैरबहस पर बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा धमाना का रहन का ईन्द्राज बदस्तूर कायम रखा जावें। अन्य कोई अनुतोष जो वादी को दिलाना न्यायोचित हो वह भी दिलाया जावें । हर्जा खर्चा आदि भी दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 23.02.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी सं0 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 20.03.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में पूर्व में वादी नारायण व कमला का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर जमाबन्दी 2064 से 2067 खाता संख्या 98 व 622 प्रदर्श–1 व 2 व नकल जमाबन्दी संवत् 2039–42 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल कुल किता 12 प्रदर्श 4 है।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा दौरान बहस निवेदन किया कि वादी नारायण लाल, भगवान लाल का किसी प्रकार से पुत्र ही नही है तो इन्द्राज दुरूस्ती कराने का तथा खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नही है। वादी ने जबरदस्ती प्रतिवादी सं0 1 भगवानलाल का पुत्र बता कर आराजीयात को हडप करने की नियत से यह वादपत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है, अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जावें। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। वादी भगवानलाल का वारिस है, ऐसा एक भी ठोस दस्तावेज पेश नही किया है। वादी द्वारा वादपत्र की तायद मे कोई ठोस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत नही किये है। वादी अपना वादपत्र सिद्ध कराने में असफल रहा। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), कपासन
(फास्ट–ट्रेक) कपासन